संख्याः-254/xxxii/ 2006

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तरांचल।
(3) समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 08 फरवरी 2006

विषयः- सेवा सम्बन्धी मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिकाओं तथा लोक सेवा अधिकरण में याचित की गई क्लेम याचिकाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा सम्बन्धी मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिकाओं तथा लोक सेवा अधिकरण में दाखिल की गई क्लेम याचिकाओं में विभागों द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करते समय कार्मिक विभाग के नियमों/ शासनादेशों का निर्वचन सही ढंग से न किये जाने, राज्य सरकार के प्रतिकूल आदेश प्राप्त होने पर उसका विधि विभाग से परीक्षण न किये जाने और समय से ऐसे निर्णयों के विरूद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका तथा रिट याचिका न किये जाने के कारण राज्य सरकार का पक्ष प्रतिकूल रूप से प्रभावी होता है तथा समुचित कार्यवाही न किये जाने के कारण कभी-कभी अवमानना की स्थिति भी पैदा होती है। अतः माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिकाओं तथा लोक सेवा अधिकरण में दायर की गई क्लेम याचिकाओं में प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी आवश्यक है:-

1. रिट याचिकाओं में उत्तरदाता विभाग एवं प्राधिकारी द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने से पूर्व यथाशक्य परिसमापित निगमों के छटनीशुदा कर्मियों के समायोजन/नियुक्ति, अनुशासनिक कार्यवाही, पदोन्नति,ज्येष्ठता व अन्य सेवा संबंधी मामलों में कार्मिक विभाग के नियमों व शासनादेशों के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त कर लिया जाय और यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्मिक विभाग के नियमों व शासनादेशों का निर्वचन दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र में सही रूप में हुआ है।
2. रिट याचिकाओं में अथवा क्लेम याचिकाओं में पारित आदेशों का तत्काल विधि विभाग से परीक्षण कराया जाय और यदि ऐसे आदेश का अनुपालन करने में कठिनाई हो और विधि विभाग से निर्णय को चुनौती देने का परामर्श प्राप्त होने पर ऐसे निर्णय के विरूद्ध विशेष अपील अथवा क्लेम याचिका के मामले में रिट याचिका प्रस्तुत की जाने की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्दर अवश्य की जानी चाहिए।
3. माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल विशेष अपील में निर्णय प्रतिकूल होने की दशा में निर्णय का विधिक परीक्षण विधि विभाग से तत्काल करा लिया जाय और

निर्णय को चुनौती देने का परामर्श प्राप्त होने पर निर्धारित समय के अन्तर्गत विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की जाय।

4. विशेष अपील/ विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करने पर अपील / याचिका के साथ अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र अवश्य दिया जाय।

5. कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि विशेष अपील/ विशेष अनुज्ञा याचिका में स्थगनादेश प्राप्त नहीं हुए और अवमानना याचिका संस्तुत की गई जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का कियान्वयन अपरिहार्य हो गया। ऐसी दशा में आदेश का अनुपालन करते हुए जारी किये जाने वाले अनुदेश में इस शर्त का उल्लेख कर दिया जाय कि यह आदेश विशेष अपील/ विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा। प्रायः माननीय न्यायालय का आदेश कियान्वयन होने पर यह तर्क दिया जाता है कि अब विशेष अपील/ विशेष अनुज्ञा याचिका निष्फल हो गई है और उसे विना निर्णीत किये खण्डित कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–1813 सन् 2003 यूनियन आफ इंडिया व अन्य बनाम नरेन्द्र सिंह के मामले में दिनांक 29–7–2005 को यह निर्णय दिया है कि चुनौती दिये गये आदेश के कियान्वयन से विशेष अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका निष्फल नहीं हो जाती है और इस आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा खण्डित नहीं की जानी चाहिए।

6. माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं तथा लोक सेवा अधिकरण में दाखिल की गई क्लेम याचिकाओं में समय से समुचित पैरवी न किये जाने तथा प्राप्त निर्णयों पर समय से विधिक परीक्षण कराकर उच्चतर न्यायालय में चुनौती न दिये जाने के कारण उत्तपन्न स्थिति के लिए उत्तरदायी कार्मिक का उत्तदायित्व निर्धारित करके उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

कृपया उपरोक्त निदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः–254/xxxii/ 2006,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नाकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मण्डलायुक्त,गढ़वाल/कुमायूँ,पौडी/नैनीताल।
2– सचिवलय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव